संख्या: /III(2)/2026-01(बजट)2026/E-96726

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 3 । अगस्त, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 22 लेखाशीर्षक- 2059 निदेशन तथा प्रशासन अधिष्ठान 2059-80-001-05-00 के अन्तर्गत 02- मजदूरी मद, लेखाशीर्षक 2059 विकास/निर्माण कार्यों के प्रखण्ड अधिष्ठान 2059-80-051-03-00 के अन्तर्गत मद-27 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान हेतु स्वीकृत बजट प्राविधान के सापेक्ष धनावंटन की मांग (द्वितीय किश्त)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2424/66 बजट (अधि0 कार्यकारी)/2026-27, दिनांक 22.08.2026, वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जानेविषयक वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- I/384289/2026, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 एवं शासनादेश सं0 I/389169/2026, दिनांक 21.04.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग हेतु अनुदान सं0-22 के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित मदों में प्राविधानित धनराशि ₹ 831.00 लाख के सापेक्ष **₹ 415.50 लाख (रूपये चार करोड़ पन्द्रह लाख पचास हजार मात्र)** को, निम्न शर्तों के अधीन, व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः:-

i. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त अनुभाग-1 के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 01 अप्रैल, 2026 एवं शासनादेश सं0I/389169/2026, दिनांक 21.04.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

ii. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में कदापि नहीं किया जायेगा।

iii. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है जिसमें बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उक्त व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

iv. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा।

v. बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित

Scanned with OKEN Scanner

किया जाय।

vi. वचनवद्ध मदों, यथा वेतन मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत देय, जलकर/जलप्रभार, किराया, मजदूरी तथा आउटसोर्सिंग आधार पर नियोजित कार्मिकों के वेतन हेतु व्यवसायिक सेवाओं के लिए भुगतान, आदि मदों की धनराशि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करा दी जायेगी कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

vii. अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य अवचनबद्ध मदों की आय-व्ययक के अन्तर्गत स्वीकृत बजट प्राविधान की धनराशि भी आहरण-वितरण अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करा दी जायेगी कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा, परन्तु अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु उदाहरणार्थ फर्नीचर, साज सज्जा, उपकरण क्रय, विद्युत प्रभार, स्टेशनरी/कम्प्यूटर स्टेशनरी, पेट्रोल/डीजल आदि विभिन्न मदों में आसानी से बचत की योजना बनायी एवं क्रियान्वित की जा सकती है, जैसे कच्चे कार्य हेतु एक ओर उपयोग किये जा चुके कागज का प्रयोग किया जाना, आवश्यकतानुरूप पर्याप्त मात्रा में पूर्व से फर्नीचर होते हुए भी बार-बार फर्नीचर क्रय से बचना, अनावश्यक विद्युत उपकरणों का उपयोग रोकना, लम्बी यात्राओं हेतु सार्वजनिक यातायात साधनों का प्रयोग करना, गाड़ी का अनावश्यक प्रयोग रोकना आदि कदम आसानी से उठाये जा सकते हैं।

viii. बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व पक्ष में बजट प्राविधान अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका प्रमाणित विवरण शासन, वित्त अनुभाग-1 तथा बजट निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।

ix. इस सम्बन्ध में वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु बजट आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। वित्त अनुभाग-1 के उक्त संदर्भित शासनादेश के अनुक्रम में शासन स्तर से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उक्तानुसार राजस्व पक्ष के मुसंगत उप मानक मदों में आय-व्ययक के सापेक्ष धनराशि सापेक्ष **₹ 415.50 लाख (रूपये चार करोड़ पन्द्रह लाख पचास हजार मात्र)** का बजट आवंटन वित्त विभाग द्वारा विभागीय अनुदान सं0-22 के अन्तर्गत आपको आवंटित कोड सं0-4227 में कर दिया गया है। अतः तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-22 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षक एवं सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-I/384289/2026 दिनांक 01 अप्रैल, 2026 (E-94611) के द्वारा प्रतिनिधानित व्यवस्थान्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- यथोपरि (Allotment Ids)।

भवदीय

Digitally signed by
Mahaveer Singh Chauhan
Date: 31-08-2026
18:21:11

(महावीर सिंह चौहान)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. एकीकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साईबर ट्रेजरी), 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून
5. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अपर सचिव।

ई-पत्रावली संख्या-96726 का संलग्नक
अनुदान संख्या-22
लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य
80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट प्राविधान	अवमुक्त धनराशि	अद्यतन व्यय	प्रस्तावित मांग
1	2	3	4	5	6
1.	05-कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिये मजदूरी-02-मजदूरी	810.00	405.00	331.51	405.00

(रूपये चार करोड़ पांच लाख मात्र)

(महावीर सिंह चौहान)
अपर सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

अनुदान संख्या -22
लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य
80-सामान्य-051-निर्माण-03-विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट प्राविधान	अवमुक्त धनराशि	अद्यतन व्यय	प्रस्तावित मांग
1	2	3	4	5	6
1.	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	21.00	10.50	9.89	10.50

(रूपये दस लाख पचास हजार मात्र)

(महावीर सिंह चौहान)
अपर सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026 - 2027)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/427665/2026
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S26090220001
आवंटन पत्र दिनांक-01-SEP-2026

लेखा शीर्षक 2059-लोक निर्माण कार्य
001-निदेशन तथा प्रशासन
00-कार्य प्रभारित कर्मचारियों के मजदूरी भुगतान हेतु
80-सामान्य
05-कार्य प्रभारित कर्मचारियों के मजदूरी भुगतान हेतु
Voted

2	0	5	9	8	0	0	0	1	0	5	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	शेष
02-मजदूरी	40500000	40500000	0	81000000
योग	40500000	40500000	0	81000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.4,05,00,000 (Rupees Four Crores Five Lacs Only)
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, "नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

(Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: p1hodpwduk@gmail.com

पत्रांक–1090/20याता०'क'(वित्तीय स्वीकृति)नियो०–1/2026, दिनांक–5 सितम्बर 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. all मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, ...।
2. all अधीक्षण अभियन्ता, ...वृत्त, लोक निर्माण विभाग,.....।
3. all अधिशासी अभियन्ता,.....खण्ड, लोक निर्माण विभाग,.....।
4. आई०टी०सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक वर्ग), विभागाध्यक्ष कार्यालय,लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner